प्रेषक

गजेन्द्र
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

विषयः—वित्त(सामान्य) अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0—14/2024/सा—3—243/दस—2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 तथा शासनादेश सं0—20/2024/सा—3—276/दस—2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के क्रम में विकल्प का प्रयोग करके पुरानी पेंशन योजना का चयन (वरण) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15 नबवंर, 2003 को उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 347 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या—ए—2/ई—1/2003 प्रकाशित कराया गया था। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी ने तत्समय अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए उ0प्र0 लोक से आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार को उत्तीर्ण करते अन्तिम चयन सूची में स्थान पाया था तथा उ0प्र0 सरकार के द्वारा निर्गत अधि सं0—2430/II-4-06-32(1) 2001 T.C-1 दिनांक 26.05.2006 एवं उक्त क्रम में मा न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना सं0—1070/DR(S)/2006 दिनांक 13.06.20 संलग्न) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद पर हुई थी। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सिविल ज डिवीजन), बरेली का पदभार दिनांक 15.06.2006 को ग्रहण कर लिया गया था।

तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की सेवाएं राष्ट्री से आच्छादित मानते हुए अधोहस्ताक्षरी को खाता सं0—060620072001552 राज्य सरकार द्वारा अधोहस्ताक्षरी के वेतन से नियमानुसार तथा अनिवार्य

कटौती की जाती रही। कालान्तर में उपरोक्त वर्णित खाता संख्या के स्थान पर अधोहस्ताक्षरी को PRAN संख्या–110042470257 आवंटित करते हुए पूर्व का अंशदान तथा नवीन अंशदान उक्त PRAN में अद्यतन जमा किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर पदस्थ है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, महोदय का ध्यान वित्त(सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 (प्रति संलग्न) की ओर आकृष्ट कराना चाहेगा जिसमें शासन द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उ0प्र0 सरकार के समस्त कर्मी जिन्हें उस पद या रिक्त के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती / नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अधिसूचना की दिनांक अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित / अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, ''उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961'' के अधीन कवर किये जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उक्त विकल्प सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाएगें।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपरोक्त अंकित प्रथम प्रस्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि अधोहस्ताक्षरी के उ0प्र0 न्यायिक सेवा में चयन हेतु जिस विज्ञापन के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी, वह **विज्ञापन दिनांक 15 नबंवर, 2003** को प्रकाशित हुआ था अर्थात् प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 28.06.2024 में वर्णित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 से पूर्व। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी का यह **विनम्र निवेदन** है कि वह वित्त(सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 की शर्तों पूर्ण करता है और तदानुसार अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन प्रणाली (अंतर्गत उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) का चयन / वरण करने हेतु अर्ह है।

अतः अधोहस्ताक्षरी एतदद्वारा वित्त(सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा विकल्प का वरण करते हुए पुरानी पेंशन योजना (अंतर्गत उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) के अधीन आच्छादित / कवर किये जाने का चयन / वरण करता है तथा उ

के **शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तद्क्रम में निर्गत पत्र संख्या–9691/IV-F-82(Pension)/Admin(A) दिनांक 16.07.2024** द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप को भरकर प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान जी के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

तद्क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यथाआवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक–

भवदीय

सलग्नकः– यथोपरि।

(गजेन्द्र)
जे० ओ० कोड -UP6291

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अनु सचिव, इरला अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

भवदीय

(गजेन्द्र)
जे० ओ० कोड . UP6291